

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 251] No. 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 04, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 04, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 24/2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट 3क से सभी मदों को हटाना।

फा. सं. 01/61/180/32/एएम 19/पीसी—3.—विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01.04.2015 की सार्वजनिक सूचना सं. 01/2015—20 के तहत इस महानिदेशालय द्वारा पहले जारी किए गए एमईआईएस के परिशिष्ट 3क में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. परिशिष्ट 3क के तहत विनिर्दिष्ट सूची में मद क्र. सं. 01 से 07 को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः पहले अनुमत नहीं किए गए मदों के आयात के लिए अध्याय 3 के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों को डेबिट की अनुमति दी गई है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक

4310 GI/2018 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 24/2015-2020

Subject: Removal of all items from the Appendix 3A of the Handbook of Procedures, 2015-20.

- **F. No. 01/61/180/32/AM19/PC-3**.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Appendix 3A of MEIS, issued earlier by this Directorate, vide Public Notice 01/2015-20 dated 01.04.2015.
 - 2. The items Serial no. 01 to 07 in the list specified under Appendix 3A are deleted with immediate effect.

Effect of Public Notice: Chapter 3 duty credit scrips are allowed for debit for import of items which were earlier not permitted.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General